उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-57/2017/3038/71-2-2017-18/2012
लखनऊ : दिनांक 24 अगस्त, 2017

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि स्वीकृत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-48/2017/1665/71-2-17-18/2012, दिनांक 13 जून, 2017 के प्रस्तर-1 की तालिका में उल्लिखित चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों/रा0 मेडिकल कालेजों के सम्मुख अंकित कुल धनराशि का वास्तविक योग रू0 1198.00 लाख है। उक्त शासनादेश में त्रुटिवश रू0 1198.00 लाख के स्थान पर रू0 1208.33 लाख अंकित हो गया है। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 13 जून, 2017 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित धनराशि रू0 1208.33 लाख के स्थान पर रू0 1198.00 लाख पढा व समझा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 13 जून, 2017 को इस सीमा तक संशोधित पढा जाय तथा शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजय कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या-57/2017/3083(1)/71-2-17-तद्दिनांक

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
3. संबंधित कोषाधिकारी (लखनऊ/कानपुर/गौतमबुद्धनगर/मेरठ/झांसी/इटावा/इलाहाबाद/आगरा/गोरखपुर)।
4. संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज (कानपुर/मेरठ/झांसी/इलाहाबाद/आगरा/गोरखपुर)।
5. निदेशक, हृदय रोग संस्थान/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
6. संबंधित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
7. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
9. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
1. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।